Bill No. 13 of 2011

THE RAJASTHAN AGRICULTURAL PRODUCE MARKETS (AMENDMENT) BILL, 2011

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Agricultural Produce Markets Act, 1961.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-second Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.–(1) This Act may be called the Rajasthan Agricultural Produce Markets (Amendment) Act, 2011.

(2) It shall be deemed to have come into force on and from 30th December, 2010.

2. Amendment of section 14, Rajasthan Act No. 38 of 1961.–In clause (a) of sub-section (2) of section 14 of the Rajasthan Agricultural Produce Markets Act, 1961 (Act No. 38 of 1961), the existing proviso shall be substituted, namely:-

> "Provided that no sale or purchase shall be permitted under this clause within the market proper except for the purposes specified in sub-clauses (i) and (iv) ;" .

3. Repeal and savings.–(1) The Rajasthan Agricultural Produce Markets (Amendment) Ordinance, 2010 (Ordinance No. 05 of 2010) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all actions taken or orders made under the principal Act as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been taken or made under the principal Act as amended by this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Amendment was proposed in clause (a) of sub-section (2) of section 14 of the Rajasthan Agricultural Produce Markets Act, 1961 with a view to ensure better prices to the farmers for their produce. All restrictions on direct purchase of agriculture produce are proposed to be removed in order to promote Agriculture Processing and value addition activities. It will encourage setting up Agro Processing Enterprises.

Since the Rajasthan Legislative Assembly was not in session and circumstances existed which rendered it necessary for the Governor of Rajasthan to take immediate action, he, therefore, promulgated the Rajasthan Agricultural Produce Markets (Amendment) Ordinance, 2010 (Ordinance No. 05 of 2010), on 30th December, 2010 which has published in Rajasthan Gazette, Part IV (B), Extraordinary, dated 31st December, 2010.

This Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance.

Hence the Bill.

गुरमीत सिंह कुन्नर,
Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN AGRICULTURAL PRODUCE MARKETS ACT, 1961

(Act No. 38 of 1961)

XX XX XX XX

14. Power of market committee to issue licence.- (1)

XX XX XX XX

(2) The market committee may also grant licence,-

(a) for direct purchase from agriculturist for the following purpose, namely:-

(i) to processor for processing;

(ii) to exporters for export of agricultural produce;

(iii) for trade of agricultural produce of particular specification; and

(iv) for grading, packing and transacting in other way by value addition of agricultural produce:

Provided that no sale or purchase shall be permitted under clause (a) within the market proper;

(b) XX XX XX XX

XX XX XX XX

(अधिकृत हिन्दी अनुवाद)

2011 का विधेयक सं. 13

राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2011

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2011 है।

(2) यह 30 दिसम्बर, 2010 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. 1961 **के राजस्थान अधिनियम सं** 38 **की धारा** 14 **का संशोधन.-**राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम सं. 38) की धारा 14 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) में विद्यमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु कोई भी विक्रय या क्रय इस खण्ड के अधीन, उप-खण्ड (i) और (iv) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के सिवाय, मुख्य मण्डी के भीतर अनुज्ञात नहीं किया जायेगा;"।

3. निरसन और व्यावृत्तियां.-(1) राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 2010 (2010 का अध्यादेश सं 05) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गयी समस्त कार्रवाइयां या आदेश इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

कृषकों को उनकी उपज की बेहतर कीमतें सुनिश्चित करने की दृष्टि से राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 की धारा 14 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) में संशोधन प्रस्तावित था। कृषिक प्रसंस्करण और मूल्य परिवर्धन क्रियाकलापों का प्रोन्नयन करने के लिए कृषि उपज के सीधे क्रय पर समस्त निर्बन्धन हटाये जाने प्रस्तावित थे। इससे कृषि प्रसंस्करण उद्यम स्थापित करने में प्रोत्साहन मिलेगा।

चूंकि राजस्थान विधान सभा सत्र में नहीं थी और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थी जिनके कारण राजस्थान के राज्यपाल के लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था, इसलिए उन्होंने 30 दिसम्बर, 2010 को राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 2010 (2010 का अध्यादेश सं. 05) प्रख्यापित किया जो राजस्थान राज-पत्र, असाधारण, भाग 4 (ख) में दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 को प्रकाशित हुआ।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

गुरमीत सिंह कुन्नर,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961

(1961 का अधिनियम सं. 38) से लिये गये उद्धरण

xx xx xx xx xx

14. मण्डी समिति की अनुज्ञप्ति जारी करने की शक्ति.-(1)

xx

(2) मण्डी समिति निम्नलिखित के लिए भी अनुज्ञप्ति मंजूर कर सकेगी**,-**

(क) निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए कृषकों से सीधे क्रय के लिए**,** अर्थात्:-

(i) प्रसंस्करणकर्ताओं को प्रसंस्करण के लिए**;**

(ii) निर्यातकों को कृषि उपज के निर्यात के लिए**;**

(iii) विनिर्देश विशेष की कृषि उपज के व्यापार के लिए**;** और

(iv) कृषि उपज के मूल्य परिवर्धन द्वारा श्रेणीकरण**,** पैक करना और अन्य प्रकार से संव्यवहार :

परन्तु कोई भी विक्रय या क्रय खण्ड (क) के अधीन मुख्य मण्डी के भीतर अनुज्ञात नहीं किया जायेगा**;**

(ख) xx xx xx xx

xx xx xx xx xx

Bill No. 13 of 2011

THE RAJASTHAN AGRICULTURAL PRODUCE MARKETS (AMENDMENT) BILL, 2011

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A
Bill

further to amend the Rajasthan Agricultural Produce Markets Act, 1961.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

H. R. KURI,
Secretary.

(GURMEET SINGH KUNNAR, **Minister-Incharge)**

2011 **का विधेयक सं. 13**

राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2011

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

एच. आर. कुडी़,
सचिव।

(गुरमीत सिंह कुन्नर, **प्रभारी मंत्री)**